

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

अजमेर-भैरुंदा के मध्य 220 के/वी डी/सी पारेषण लाईन डाली जाने हेतु 3.01 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन

बिन्दु संख्या-13:- पारेषण लाईन के प्रस्ताव में दीवार निर्माण लिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। यदि उप वन संरक्षक अतिक्रमण को रोकने के लिये दीवार निर्माण कराना चाहते हैं तो उक्त दीवार की मांग कैम्पा/नरेगा में क्यों नहीं की गई। इस हेतु उप वन संरक्षक अपनी टिप्पणी संलग्न करें।

टिप्पणी

जिला अजमेर के वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये कैम्पा एपीओ 2016-17, 2017-18 में 10 कि.मी. पक्की दीवार प्रस्तावित की गई थी जिसमें क्रमशः 1 कि.मी. एवं 2 कि.मी. दीवार प्राप्त हुई है। इसमें निवेदन है कि अजमेर जिले में अतिक्रमण की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र है। अतः कोई कैम्पा में दीवार आवंटित होती है तो उस दीवार को उक्त क्षेत्र की जगह उन संवेदनशील क्षेत्रों में बनाया जाना उचित होगा। इसलिये ही प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर उक्त दीवार का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।


(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर